प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में भारतीय रेलवे में उपनगरीय रेलगाड़ी सेवाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वह है जो 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे तथा वह जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे किन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई थी।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर रेल मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।